भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/86/2019/एफ0सी0/361   दिनॉक : 17.10.2019

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/39827/2019)

विषयः जनपद–झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–26 के किमी0 सं0 3 से 11 तक झांसी हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनों पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–1951/81–2–2019–800(64)/2019,लखनऊ, दिनांक–27.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

a- A proposal of 4 lane widening of NH-25 Jhansi-Lalitpur road-Babina road km 0 to 11.00 & felling of 1800 trees was submitted earlier vide online proposal no. 24768/2017 involving 20.35 ha. of Forest land. Now the fresh proposal submitted by the State Government vide online proposal no. 39827/2019 relates to 4 lane widening of Same road from km. to 11.00 involving 14.8 ha. & felling of 945 trees.
It is not clarified whether the earlier proposal stands withdrawn by the State Government or not?

b- It is also not clarified-
(i) why the original proposal has been modified or why a new proposal has been submitted.
(ii) What will be the outcome if NOC of Ministry of Defence is not obtained/issued and what is the alternative available for the user agency to complete the project and how does it affect the viability of the project.

c- The Forest offence has been compounded after taking compensation but calculation of Penal NPV payable as per recent guidelines of the Ministry dated 29-01-2018 is not correct as penalty has not been calculated for each year of violation. This needs rectification.

d- In area calculation sheet, uniform width of proposed widening has been taken. It is not clear whether extra width is required at culverts, bridges etc. and to what extent requirement of Forest area increases in that case.

भवदीय,

(के0के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी, झांसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
4. अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड (भवन विंग) लोक निर्माण विभाग, झांसी।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

17.10.17

(के0के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}